



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

25,000/- रुपये के इनामिया गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त

गिरफ्तार, अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 18.11.2022

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही एवम् वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक “उत्तरी” के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी लहरपुर के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 472/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम में 25,000/-रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त राजेश पुत्र जंगलीदास निवासी इब्राहिमपुरवा थाना लहरपुर सीतापुर को खनियापुर से कुसेपा मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिससे 01 अदद अवैध शस्त्र व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर भी बरामद हुआ है। अभियुक्त शांतिर अपराधी हैं, जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शस्त्र निर्माण/विक्रय जैसे अपराध कारित करता है। जिसके संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहा था जिसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त पर 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 731/22 धारा 25(1-B) A ACT पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- राजेश पुत्र जंगलीदास निवासी इब्राहिमपुरवा थाना लहरपुर सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 731/22 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना लहरपुर सीतापुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त राजेश उपरोक्त -

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	25/22	25(1-B) A ACT	लहरपुर	सीतापुर
2	24/22	5/25 A ACT	लहरपुर	सीतापुर
3	472/22	2/3 UP गैंगेस्टर एक्ट	लहरपुर	सीतापुर

पुलिस टीम थाना लहरपुर -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह
2. उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह
3. उ०नि० श्री निर्मल तिवारी
4. हे०का० जयप्रकाश बाजपेई
5. का० देवेश मामराज
6. का० राजकुमार

